दिल्ली विधान सभा
कार्य सूची

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1995 / पौष 1, 1917 (शक)

पूर्वाह्न 11.00 बजे

प्रश्न

1. पृथक सूची में दिए गए प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र

2. डा. हर्षवर्धन, स्वास्थ्य एवं विधायी कार्य मंत्री निम्नलिखित पत्र सदन पटल पर रखेंगे ।

(I) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम - 6)

(II) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम 1994, (1995 का दिल्ली अधिनियम - 7)

(III) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम- 8)

प्रस्ताव

3. चौ. फतेह सिंह :)
श्री गौरी शंकर भारद्वाज :) निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

" कि यह सदन दिनांक 18.12.1995 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

प्रस्ताव

4. श्री राम भज :) निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-
डा. हर्षवर्धन :)

" कि यह सदन दिनांक 18.12.1995 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

...2/-

प्रस्ताव

5. डा. ए. के. वालिया : ⦃ निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–
श्री नन्द किशोर गर्ग : ⦃

" कि यह सदन दिनांक 18. 12. 1995 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

विचारण एवं पारण के लिए विधेयक

6. मुख्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना प्रस्ताव करेंगे :–

" कि दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995 पर विचार किया जाए ।"

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

7. स्वास्थ्य एवं विधायी कार्य मंत्री डा. हर्षवर्धन प्रस्ताव करेंगे :–

" स्माल काजिज कोर्ट्स ⦃ दिल्ली संशोधन ⦄ विधेयक, 1995" पर विचार किया जाए ।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण

8. स्वास्थ्य एवं विधायी कार्य मंत्री, डा. हर्षवर्धन प्रस्ताव करेंगे :–

" कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ⦃ वेतन एवं भत्ते ⦄ ⦃संशोधन⦄ विधेयक, 1995" को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

विधेयक भी पुरःस्थापित करेंगे ।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए ।

9. स्वास्थ्य एवं विधायी कार्य मंत्री, डा. हर्षवर्धन प्रस्ताव करेंगे :–

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के ⦃ वेतन एवं भत्ते ⦄ ⦃संशोधन⦄ विधेयक, 1995" को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

विधेयक भी पुरःस्थापित करेंगे ।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए । [illegible]

...3/-

10. स्वास्थ्य एवं विधायी कार्य मंत्री, डा. हर्षवर्धन प्रस्ताव करेंगे :-

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के ॥ वेतन एवं भत्ते ॥ संशोधन ॥ विधेयक, 1995" को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

विधेयक भी पुरः स्थापित करेंगे ।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए ।

प्रतिवेदन पर विचार

11. डा. हर्षवर्धन प्रस्ताव करेंगे कि :-

" दिल्ली धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा विधेयक, 1995 को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन को विचार के लिए लिया जाए ।"

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

गैर सरकारी कार्य

12. गैर सरकारी विधेयकों के पुरःस्थापन के संबंध में माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

13. श्री आलोक कुमार, विधायक दिल्ली कृषि पशु संरक्षण ॥संशोधन॥ विधेयक, 1995" को पुरःस्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करेंगे ।

विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

14. श्री आलोक कुमार, विधायक,"भारतीय तलाक ॥संशोधन॥ विधेयक, 1995" को पुरःस्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करेंगे ।

। ध विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

...5/-

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

संकल्प सं.	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	सदन में प्रस्तुत
1.	श्री मुकेश शर्मा	यह सदन संकल्प करता है कि भूमि अधिग्रहण के नोटिस जारी करने से पूर्व जमीन का मुआयना किया जाए और मौके पर जमीन खाली होने की स्थिति में ही भूमि अधिग्रहण के नोटिस जारी किए जाए ।	24. 3. 95
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता (मालवीय नगर)	यह सदन संकल्प करता है कि समयबद्ध ढंग से सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा सड़कों के रख-रखाव के प्रति एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से स्लम बोर्ड की ही भांति एक दिल्ली सड़क बोर्ड बनाया जाए, जिसका प्रगति संबंधी प्रतिवेदन मुख्य मंत्री द्वारा छः माह के अंतराल से सदन में रखा जाए ।	31. 3. 95
3.	श्री नन्द किशोर गर्ग	यहसदन संकल्प करता है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रही वाहनों की संख्या को कम करने तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और ट्रैफिक जाम आदि समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार एम. आर. टी. एस. (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम) की योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करे ।	
4.	डा. ए. के. वालिया	यह सदन संकल्प करता है कि पूर्वी दिल्ली को जिसकी आबादी दिल्ली की कुल आबादी का 1/3 है कुल जल आपूर्ति का 1/3 भाग दिया जाए ।	
5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के विद्यालयों में प्रथम कक्षा से द्वादश कक्षा तक की (1 से 12) कक्षाओं के लिए निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों से वैदिक वाङ्‌मय, भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला व साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के संबंध में प्रकाशित सभी भ्रान्त धारणाओं एवं पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रस्तुत सभी मान्यताओं वाले अंशों को निकाल दिया जाए तथा उनके स्थान पर ऐतिहासिक गवेषणाओं व पुरातत्व साक्ष्यों से प्रमाणित तत्परक सिद्धांतों वाले अंशों का समावेश किया जाए ताकि छात्रों को	

भारतीय को स्पष्ट सत्य पहचान का ज्ञान कराया जा सके । पाठ्य पुस्तकों में उक्त संशोधन हेतु शिक्षा शास्त्रियों इतिहासविदों एवं विद्वान शिक्षकों की एक समिति गठित की जाए तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (एन. सी. इ. आर. टी.) तथा दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो को पाठ्य-क्रम का संशोधित प्रारूप स्वीकृत हेतु भेजे ।

टिप्पणी :-
==========

माननीय सदस्यों का ध्यान कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम के नियम 23(1) की तरफ आकर्षित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य प्रत्येक शुक्रवार को अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक निष्पादित किया जाएगा । माननीय अध्यक्ष ने सरकारी कार्य के लिए पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक का समय निर्धारित किया है और यदि सरकारी कार्य लंबित रह जाता है तो उसे अपराह्न 5.00 बजे तक किया जायेगा ।

(१।४ 2/11 – [illegible])

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS

Friday, the December 22, 1995/Pausa 1, 1917(Saka)

11.00 A.M.

1. QUESTIONS

Questions entered in separate list to be asked and answers given.

2. PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

Dr. Harsh Vardhan, Minister for Health and Legislative Affairs to lay on the Table the following:-

i) The Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) Act, 1994 (Delhi Act No.6 of 1995);

ii) The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act No.7 of 1995); and

iii) The Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances)Act, 1994 (Delhi Act No.8 of 1995).

3. MOTION

Ch. Fateh Singh:]
Shri Gauri Shanker Bhardwaj:] to move the following:-

"That this House agrees with the First Report of the Committee on Privileges presented to the House on 18-12-95".

4. MOTION

Shri Ram Bhaj:]
Dr. Harsh Vardhan:] to move the following:-

"That this House agrees with the Ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 18-12-95".

Contd.......2

5. MOTION

Dr. A.K. Walia:] to move the following:-
Shri Nand Kishore Garg:]

"That this House agrees to the Seventh Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on 18-12-95".

6. BILLS FOR CONSIDERATION AND PASSING

Shri Madan Lal Khurana, Chief Minister to move:-

"That the Delhi Official Language Bill,1995 be taken into consideration".

ALSO to move that the Bill be passed.

7. Dr. Harsh Vardhan, Minister of Health and Legislative Affairs to move:-

"That the Provincial Small Causes Courts (Delhi Amendment) Bill, 1995 be taken into consideration."

ALSO to move that the Bill be passed.

8. BILLS TO BE INTRODUCED, CONSIDERED AND PASSED.

Dr. Harsh Vardhan, Minister of Health and Legislative Affairs to move for leave to introduce "The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) (Amendment) Bill,1995."

ALSO to introduce the Bill.
ALSO to move for consideration and the Bill be passed.

9. Dr. Harsh Vardhan, Minister of Health and Legislative Affairs to move for leave to introduce "The Minister of Govt of National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) (Amendment) Bill, 1995".

ALSO to introduce the Bill.
ALSO to move for consideration and the Bill be passed.

Contd.......3

10. Dr. Harsh Vardhan, Minister of Health and Legislative Affairs to move for leave to introduce "The Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) (Amendment)Bill, 1995".

ALSO to introduce the Bill.

ALSO to move for consideration and Bill be passed.

11. CONSIDERATION OF REPORT

Dr. Harsh Vardhan, Minister of Health and Legislative Affairs to move that:-

"The report of Select Committee on the Delhi Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection Bill, 1995 be taken into consideration".

ALSO to move that the Bill as reported by the Select Committee be passed.

12. PRIVATE MEMBERS BUSINESS

Ruling of the Hon'ble Speaker regarding introduction of Private Members Bills.

13. PRIVATE MEMBER BILL

Shri Alok Kumar, MLA, to move for leave to introduce"The Delhi Agricultural Cattle Preservation (Amendment) Bill, 1995".

ALSO to introduce the Bill.

14. Shri Alok Kumar, MLA, to move for leave to introduce "The Indian Divorce (Amendment) Bill, 1995".

ALSO to introduce the Bill.

Contd......4

15. PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

Resolution No.	Name of Member	Text of Resolution	Introduced On
1.	Sh. Mukesh Sharma	This House resolves that before issuance of notices of land acquisition, the land be inspected and notices issued only if the land is found to be vacant at the spot.	24-3-95
2.	Sh. Rajender Gupta (Malviya Nagar)	This House resolves that for ensuring time bound implementation of various projects and to adopt and coordinate unified approach towards maintenance of roads, a Delhi Road Board on the lines of Delhi Slum Board be set up. Progress report of this be presented in the House by the Chief Minister after an interval of 6 months in a year.	31-3-95
3.	Sh. Nand Kishore Garg	This House resolves that the Government may implement the MRTS)Mass Rapid Transport System) on top priority basis with a view to minimise number of vehicles, and to check environmental pollution and traffic jams etc.	
4.	Dr. A..K. Walia	This House resolves that East Delhi having 1/3rd population of Delhi be given 1/3rd of the total water supply of Delhi.	
5.	Shri Gauri Shanker Bhardwaj	This House resolves that all the portions having illusory concepts and views based on western ideology be deleted from the text books prescribed for primary to Senior Secondary level (from class I to XII) in	

Contd......5

Delhi Schools published about Vedic literature, Indian culture, Political Science, Sociology and Philosophy and the same be substituted by relevant facts/portions as have been established by historical researchers and archaeological evidences so as to make the students aware of the real Indian vision and facts with a view to carry out the above curriculum amendments. A Committee of Educational experts including historians and eminent academicians be constituted who shall submit its recommendations to NCERT and Delhi Text Book Bureau regarding revised syllabus for approval.

P.N. GUPTA
SECRETARY

NOTE:-

Kind attention of the Hon'ble members is invited to Rule 23(1) which provides that Private Members Business shall be taken up on each Friday from 2.00 P.M. to 5.00 P.M. Hon'ble Speaker has been pleased to allow Official Business to be transacted from 11.00AM to 2.00PM and if Official Business remains pending it will be again taken up at 5.00 P.M.

(National Anthem - Jana Gana Mana) P.N. Gupta
Secretary